न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री मुन्नीराम बागड़िया, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 02/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री गोरधनराम जाति सुथार निवासी कनोई तहसील सम जिला जैसलमेर।		1. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कनोई तहसील सम। 2. सरपंच ग्राम पंचायत कनोई तहसील सम 3. विकास अधिकारी पंचायत समिति सम मुकाम जैसलमेर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री आशुसिंह, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक :– 29.08.2024

प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस अप्रार्थीगण को जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी संख्या 01 के नाम प्रारूप–23–क नियम 157 (1) के तहत बुक संख्या 88 पटटा संख्या 35 दिनांक 20.08.2023 को जारी किया गया है जो असंवैधानिक रूप से जारी करने से खारिज योग्य है। प्राथीया का आगे कथन है कि प्रार्थीया जब निर्माण करवाने के लिए माप किया तो पता चला कि उतर में लालचंद सुथार तथा दक्षिण में ज्वाराराम सुथार के वर्षो पुराने बने हुए बाड़े के उपर पट्टा काट दिया प्रार्थीया एवं अन्य पड़ौसी एक ही जाति समाज के है तथा वर्षो से साथ रहते है इसलिए प्रार्थीया आपसी सौहार्द एवं प्रेम नहीं बिगाड़ना चाहती है समाज में शांति एवं सौहार्द बनाये रखना चाहती है। ग्राम पंचायत की गलती भूल समाज पर नहीं थोपना चाहती है समाज में आपसी सामजस्य एवं प्रेम बरकरार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

रहे इसलिए प्रार्थीया स्वयं उक्त पट्टा बिना किसी दबाव बहकाव के लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपने नाम से जारी पट्टा निरस्त करवाना चाहती है। इसलिए प्रार्थीया के नाम से जारी पट्टा गलत जगह एवं गलत हदूद का जारी हो जाने के कारण निरस्त किया जावें। प्रार्थीया का इस स्थान पर एक कच्चा कमरा बना हुआ था इतने बड़े भाग 60 गुणा 45 कुल 2700 वर्गफीट कर कभी कब्जा नहीं था ग्राम पंचायत द्वारा भूलवंश त्रुटि से 60 गुणा 45 कुल 2700 का पट्टा जारी किया गया है जो कि सरासर गलत होने से निरस्त किया जाना चाहिए जिससे प्रार्थीया को उजर ऐतराज आपत्ति नहीं है प्रार्थीया अपनी सहमति से उक्त पट्टा निरस्त करवाना चाहती है। इस प्रकार गलत स्थान एवं गलत एरिया लिखा होने के कारण इस पट्टे को प्रार्थीया की सहमति से निरस्त किया जावें। पट्टा विलेख का शुल्क लिया गया अथवा नहीं इसका अंकन नहीं किया गया इस कारण यह दस्तावेज अपूर्ण है इसलिए अपूर्ण दस्तावेज को निरस्त किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति को निनयम 157 (1) पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत एक पट्टा जारी किया जा सकता है प्रार्थीया अपने परिवार में अकेली ही है वारिसान भी नहीं है। प्रार्थीया के नाम एक पट्टा जारी होना है वह भी गलत स्थान का यदि जारी किया जाता है तो प्रार्थीया अपने निजी रहवासी मकान का पट्टा लेने से वंचित हो जायेगी यदि प्रार्थीया को पट्टा लेने के अधिकार से वंचित रहता पड़ता है तो यह प्रार्थीया के मौलिक अधिकारों के विपरीत होगे। प्रार्थीया के मौलिक अधिकारों का हनन होगा इस प्रकार प्रार्थीया के मौलिक अधिकारों को खत्म करने वाले दस्तावेज का निरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत पटटा मिलावट से जारी होना कथन करते हुए इसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अप्रार्थी ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्तुत मूल रेकर्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत कनोई की ओर से प्रस्तुत जवाब में कथन किया गया है कि निगरानी प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 01 से 06 तक में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया स्वयं का पट्टा नियमानुसार वार्ड पंचों की निरीक्षण कमेटी पश्चात् आक्षेप प्राप्त न होने के पश्चात जारी किया गया है। प्रार्थीया स्वयं पट्टे को खारिज करवाना चाहती है एवं इस संबंध ग्राम पंचायत की कहीं भी राजस्व हानि नहीं होती है तथा पट्टा खारिज किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

उभयपक्ष को सुना गया। प्राथीया का कथन है कि प्रार्थीया जब निर्माण करवाने के लिए माप किया तो पता चला कि उत्तर में लालचंद सुथार तथा दक्षिण में ज्वाराराम सुथार के वर्षो पुराने बने हुए बाड़े के उपर पट्टा काट दिया प्रार्थीया एवं अन्य पड़ौसी एक ही जाति समाज के है तथा वर्षो से साथ रहते है इसलिए प्रार्थीया आपसी सौहार्द एवं प्रेम नहीं बिगाड़ना चाहती है समाज में शांति एवं सौहार्द बनाये रखना चाहती है। ग्राम पंचायत की गलती भूल समाज पर नहीं थोपना चाहती है समाज में आपसी सामंजस्य एवं प्रेम बरकरार रहे इसलिए प्रार्थीया स्वयं उक्त पट्टा बिना किसी दबाव बहकाव के लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपने नाम से जारी पट्टा निरस्त करवाना चाहती है। इसलिए प्रार्थीया के नाम से जारी पट्टा गलत जगह एवं गलत हदूद का जारी हो जाने के कारण निरस्त किया जावें। प्रार्थीया का इस स्थान पर एक कच्चा कमरा बना हुआ था इतने बड़े भाग 60 गुणा 45 कुल 2700 वर्गफीट कर कभी कब्जा नहीं था ग्राम पंचायत द्वारा भूलवंश त्रुटि से 60 गुणा 45 कुल 2700 का पट्टा जारी किया गया है जो कि सरासर गलत होने से निरस्त किया जाना चाहिए जिससे प्रार्थीया को उजर ऐतराज आपत्ति नहीं है प्रार्थीया अपनी सहमति से उक्त पट्टा निरस्त करवाना चाहती है। इस प्रकार गलत स्थान एवं गलत एरिया लिखा होने के कारण इस पट्टे को प्रार्थीया की सहमति से निरस्त किया जावें। पट्टा विलेख का शुल्क लिया गया अथवा नहीं इसका अंकन नहीं किया गया इस कारण यह दस्तावेज अपूर्ण है इसलिए अपूर्ण दस्तावेज को निरस्त किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति को निनयम 157 (1) पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत एक पट्टा जारी किया जा सकता है प्रार्थीया अपने परिवार में अकेली ही है वारिसान भी नहीं है। प्रार्थीया के नाम एक पट्टा जारी होना है वह भी गलत स्थान का यदि जारी किया जाता है तो प्रार्थीया अपने निजी रहवासी मकान का पट्टा लेने से वंचित हो जायेगी यदि प्रार्थीया को पट्टा लेने के अधिकार से वंचित रहता पड़ता है तो यह प्रार्थीया के मौलिक अधिकारों के विपरीत होगे। प्रार्थीया के मौलिक अधिकारों का हनन होगा इस प्रकार प्रार्थीया के मौलिक अधिकारों को खत्म करने वाले दस्तावेज का निरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत पटटा मिलावट से जारी होना कथन करते हुए इसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ग्राम पंचायत, कनोई द्वारा प्रक्रियानुसार

अतिरिक्त जिला कलक्टर

प्रश्नगत पटटा जारी किया जाना ठहरता। ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन करने पर संपूर्ण रेकर्ड सही पाए गए। उक्त पट्टा नियमानुसार वार्ड पंचों की निरीक्षण कमेटी पश्चात् आक्षेप प्राप्त न होने के पश्चात जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रश्नगत आवासीय पट्टा ग्राम पंचायत, कनोई ने अपनी बैठक दिनांक 07.08.2023 में प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थिया सुशिला देवी पत्नी गोरधन राम को आवासीय पट्टा दिनांक 20.08.2023को प्रारूप –23–क नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 35 बुक संख्या 88 जारी किया गया। प्रश्नगत पट्टा उसी अनुसरण में पंजीयन कराया गया। अप्रार्थी संख्या 01 एवं 03 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के परिपेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संधारणीय नही ठहरता है। अतऐव ग्राम पंचायत कनोई द्वारा अप्रार्थिया को जारी किए गए पट्टे में प्रार्थी कोई सारभूत अनियमितता सिद्ध नहीं कर पाया है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य होने से एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना–अपना व्यय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर